भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1193
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

निजी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की निगरानी करना

1193. **श्री वी॰ हनुमंत रावः**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छात्रों को पेश आ रही भारी समस्याओं के मद्देनजर निजी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए विनियामक निकाय स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि शुल्क के रूप में भारी धनराशि दिए जाने के बावजूद छात्रों को निजी विश्वविद्यालयों में सुरक्षित पेय जल, समुचित खाना और आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं ?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) और (ख)ः जी, नहीं। तथापि, प्राइवेट विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [यूजीसी (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण)] विनियम, 2003 से विनियमित होते हैं। ये विनियम www.ugc.ac.in. पर उपलब्ध हैं।

(ग)ः कुल 109 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से, यूजीसी ने विशेषज्ञ समितियों जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्/परिषदों के प्रतिनिधि शामिल हैं, की सहायता से 52 विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया है। यूजीसी विशेषज्ञ समितियों ने 52 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से 19 में कतिपय कमियां पाई हैं। यूजीसी ने, यूजीसी विशेषज्ञ समितियों के अवलोकनों को अनुपालनार्थ व कमियों को दूर करने के लिए इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को पहले ही भेज दिया है।

****